भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2022

जिसका उत्तर 11.12.2025 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों का उन्नयन

2022. श्री राजा राम सिंह:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन मानदंडों के अंतर्गत 13,065 किलोमीटर राज्य सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों में स्तरोन्नयन किया गया है और वर्ष 2014 से 2024 तक प्रत्येक राज्य में वर्ष-वार कितने किलोमीटर का स्तरोन्नयन किया गया हैं;

(ख) सरकार किस प्रकार राष्ट्रीय राजमार्गों के रूपांतरण में आंध्र प्रदेश को दी गई अधिक प्राथमिकता को उचित ठहराती है, जबकि कई पिछड़े और सीमावर्ती राज्य में लगातार कम निवेश किए गए हैं;

(ग) विगत पांच वित्तीय वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) तथा अन्य योजनाओं के अन्तर्गत कुल आवंटित बजट तथा उपयोग की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए दी गई निधियों का राज्य सड़क के स्तरोन्नयन के बाद किस तरह से अन्यत्र उपयोग किया जा रहा है और अभी निधि के उपयोग की क्या स्थिति है; और

(ङ) क्या इन राष्ट्रीय राजमार्ग के स्तरोन्नयन से जुड़ी जांच के लिए कोई अतर-मंत्रालयी समितियां बनाई गई हैं और यदि हां, तो समितियों की रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ङ) राज्य की सड़कों को समय-समय पर सुस्थापित व्यापक सिद्धांतों के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) के रूप में घोषित किया जाता है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: -

i. निकटवर्ती देशों, राष्ट्रीय राजधानी को राज्य की राजधानियों / राज्य की राजधानी को दूसरे राज्य की राजधानी, प्रमुख बंदरगाहों और पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा विकास के लिए प्राथमिकता वाले बंदरगाहों, बड़े औद्योगिक केंद्रों या पर्यटन केंद्रों को जोड़ने वाली सड़के।

ii. महत्वपूर्ण सामरिक महत्व वाली सड़कें

III. मुख्य सड़कें जो यात्रा की दूरी को कम करने और पर्याप्त आर्थिक विकास हासिल करने में सक्षम बनाती हैं।

iv. सड़कें जो पिछड़े क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र के बड़े भू-भाग से जुड़ने में मदद करती हैं।

सरकार को समय-समय पर आंध्र प्रदेश राज्य सहित पिछड़े और सीमावर्ती राज्यों के साथ-साथ विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से राज्य सड़कों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित/उन्नयन करने के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं।

अप्रैल, 2014 से मार्च, 2025 तक की अवधि के दौरान, आंध्र प्रदेश राज्य सहित पिछड़े और सीमावर्ती राज्यों के साथ-साथ देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में अधिसूचित ग्रीनफील्ड खंडों सहित राज्य सड़कों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक-I में संलग्न है।

राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक सतत प्रक्रिया है। अधिसूचित राष्ट्रीय राजमार्गों पर कार्य यातायात सघनता, संपर्कता की आवश्यकता, सड़क की स्थिति, पारस्परिक प्राथमिकता और पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के साथ तालमेल के आधार पर किया जाता है।

विगत पांच वर्षों के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को जारी की गई निधि सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए आवंटित धनराशि और किए गए व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक-II में संलग्न है।

अनुलग्नक-I

राष्ट्रीय राजमार्गों का उन्नयन के संबंध में श्री राजा राम सिंह द्वारा दिनांक 11.12.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2022 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित **अनुलग्नक।**

अप्रैल 2014 से मार्च 2025 तक की अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य के साथ-साथ पिछड़े एवं सीमावर्ती राज्यों सहित देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में अधिसूचित ग्रीनफील्ड खंडों सहित राज्य सड़कों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण :-

लंबाई किलोमीटर में

क्र.सं.	**राज्य / संघ राज्य क्षेत्र**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
1	आंध्र प्रदेश	80	669	927	412	501	0	846	447	481	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	733	0	0	0	0	0	0	0	1,748	82	0
3	असम	76	18	38	0	0	0	97	71	0	0	0
4	बिहार	164	160	0	29	481	0	413	169	0	162	24
5	छत्तीसगढ़	0	0	162	291	15	0	15	0	0	0	0
6	दिल्ली	0	0	-11	10	87	0	0	0	0	0	0
7	गोवा	0	0	0	31	0	0	6	0	0	0	0
8	गुजरात	978	0	46	729	585	265	844	141	0	214	12
9	हरियाणा	185	395	-74	165	378	0	71	23	132	0	-44
10	हिमाचल प्रदेश	70	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	जम्मू और कश्मीर	274	8	0	0	96	0	0	55	124	59	0
12	झारखंड	11	0	0	0	682	0	26	37	0	203	0
13	कर्नाटक	138	70	260	795	132	0	77	229	461	69	0
14	केरल	0	0	0	21	0	0	0	0	76	0	0

												लंबाई किलोमीटर में
क्र.सं.	**राज्य / संघ राज्य क्षेत्र**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
15	मध्य प्रदेश	0	9	2,660	271	493	0	178	121	93	0	113
16	महाराष्ट्र	734	387	8,022	2,345	0	174	265	122	142	-13	16
17	मणिपुर	255	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0
18	मिजोरम	245	0	0	0	0	0	0	0	76	0	0
19	नागालैंड	106	0	49	0	0	0	0	123	0	0	0
20	ओडिशा	0	193	0	576	331	0	136	0	0	0	0
21	पंजाब	233	530	0	569	5	50	775	140	0	0	24
22	राजस्थान	80	20	0	1,041	1,426	0	8	127	230	0	27
23	सिक्किम	170	154	0	0	0	0	246	0	0	0	0
24	तमिलनाडु	0	0	0	1,844	0	0	117	0	142	0	0
25	त्रिपुरा	0	233	1	0	0	0	0	0	35	0	0
26	तेलंगाना	0	119	751	526	0	0	469	661	0	0	0
27	उत्तराखंड	432	0	0	0	12	0	463	240	0	0	0
28	उत्तर प्रदेश	620	-45	131	2,733	360	0	94	414	54	-129	-19
29	पश्चिम बंगाल	0	46	0	7	591	0	0	9	0	235	0
30	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
नोट: पुनर्संरेखण/बाईपास निर्माण/लंबाई को अधिसूचित न करने आदि के कारण ऋणात्मक आंकड़े।												

अनुलग्नक-II

राष्ट्रीय राजमार्गों का उन्नयन के संबंध में श्री राजा राम सिंह द्वारा दिनांक 11.12.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2022 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित **अनुलग्नक।**

पिछले पांच वर्षों के दौरान एनएचएआई को जारी की गई धनराशि सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए आवंटित धनराशि और किए गए व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण: -

राशि करोड़ रुपये में

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1	आंध्र प्रदेश	4,281	4,281	5,890	5,890	6,957	6,957	11,440	11,440	11,777	11,756
2	अरुणाचल प्रदेश	2,512	2,512	2,718	2,718	3,140	3,140	2,649	2,649	3,972	3,599
3	असम	3,753	3,753	3,150	3,150	4,557	4,557	9,137	9,137	7,209	7,207
4	बिहार	6,716	6,716	9,174	9,174	9,347	9,347	10,749	10,749	8,840	8,840
5	छत्तीसगढ़	2,224	2,224	1,936	1,936	2,468	2,468	4,255	4,255	2,392	2,280
6	गोवा	734	734	615	615	673	673	620	620	851	651
7	गुजरात	7,533	7,533	10,710	10,710	9,831	9,831	10,900	10,900	8,262	8,091
8	हरियाणा	10,651	10,651	7,203	7,203	3,924	3,924	6,062	6,062	4,391	4,344
9	हिमाचल प्रदेश	2,033	2,033	3,164	3,164	4,534	4,534	5,175	5,175	3,998	3,994
10	झारखंड	2,627	2,627	2,853	2,853	3,127	3,127	4,599	4,599	5,334	5,169
11	कर्नाटक	5,838	5,838	7,681	7,681	6,763	6,763	12,695	12,695	11,147	10,819
12	केरल	12,831	12,831	10,136	10,136	3,994	3,994	10,419	10,419	5,100	5,082
13	मध्य प्रदेश	8,250	8,250	9,006	9,006	6,210	6,210	7,447	7,447	7,819	7,799
14	महाराष्ट्र	20,844	20,844	18,655	18,655	18,355	18,355	19,867	19,867	18,697	18,512
15	मणिपुर	978	978	2,142	2,142	2,737	2,737	2,598	2,598	2,018	2,011
16	मेघालय	861	861	819	819	684	684	1,803	1,803	1,835	1,697
17	मिजोरम	1,238	1,238	2,054	2,054	3,218	3,218	2,189	2,189	2,114	2,091
18	नागालैंड	2,382	2,382	1,943	1,943	1,666	1,666	1,414	1,414	1,681	1,600

											राशि करोड़ रुपये में
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2020-21**		**2021-22**		**2022-23**		**2023-24**		**2024-25**	
19	ओडिशा	5,336	5,336	4,510	4,510	4,643	4,643	5,948	5,948	6,121	5,786
20	पंजाब	3,301	3,301	7,179	7,179	10,093	10,093	12,419	12,419	8,137	7,898
21	राजस्थान	7,340	7,340	11,353	11,353	9,719	9,719	8,874	8,874	6,330	6,301
22	सिक्किम	1,053	1,053	811	811	1,008	1,008	684	684	473	441
23	तमिलनाडु	4,868	4,868	4,305	4,305	8,230	8,230	9,925	9,925	9,077	9,068
24	तेलंगाना	2,907	2,907	3,458	3,458	3,622	3,622	6,117	6,117	7,564	7,496
25	त्रिपुरा	1,026	1,026	1,085	1,085	1,156	1,156	1,546	1,546	778	767
26	उत्तर प्रदेश	18,768	18,768	13,944	13,944	21,453	21,453	28,114	28,114	20,682	20,665
27	उत्तराखंड	2,800	2,800	2,112	2,112	3,219	3,219	4,545	4,545	3,996	3,835
28	पश्चिम बंगाल	2,658	2,658	3,642	3,642	3,053	3,053	3,543	3,543	2,241	2,240
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	349	349	246	246	143	143	96	96	204	204
30	चंडीगढ़	2	2	6	6	1	1	0	0	0	0
31	दादरा और नगर हवेली	43	43	30	30	26	26	2	2	100	46
32	दमन और दीव										
33	दिल्ली / मुख्यालय	-1,482	-1,482	3,961	3,961	7,164	7,164	3,223	3,223	2,840	2,840
34	जम्मू और कश्मीर	2,932	2,932	6,817	6,817	7,370	7,370	10,528	10,528	10,331	10,204
35	लद्दाख	24	24	352	352	574	574	658	658	794	768
36	पुदुचेरी	21	21	1	1	61	61	35	35	29	23

आबंटन - आवंटन; व्यय - व्यय

वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विरुद्ध ऋणात्मक आंकड़ा उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को परियोजना/व्यय के अंतरण को दर्शाता है।

*****